

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट महवा जिला दौसा

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

मंगतू बनाम लक्ष्मण वगै०

मु०नं० 177/2015


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व स्वयं

वादी को रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलायी गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इससे यह प्रतीत होता है कि वादी अपने वादपत्र के प्रति गंभीर नहीं है तथा वादपत्र को चलाना नहीं चाहता है।

अतः वादी का वाद पत्र वादी व वकील वादी की अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

  
उप खण्ड अधिकारी  
महवा (दौसा)

03.2026